न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी:—राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद : खाता तकसीम

नम्बर मुकदमा — 364 / 2024

निर्णय दिनांक:— 6.8.2024

जसविन्द्र पाल पुत्र सर्वजीत जाति ब्राहमण सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

—वादी

बनाम

1. नायब सिह पुत्र करनैल सिह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया तह संगरिया

—प्रतिवादीगण

उपस्थित

श्री नक्षत्र सिह सिद्धू — अधिवक्ता वादी

श्री चरणजीत सिह सिद्धू — अधिवक्ता प्रति स. 1

निर्णय

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादी की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि वादी के नाम चक 20 ए.एम.पी. खाता स. 122 / 86 खाता जसविन्द्र पाल वगैरा ज.स. 2070— 2073 में सांझा खाता में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। दफा 2 में दर्ज वादग्रस्त आराजी का वादी ने प्रति स. 1 के साथ अच्छी में से अच्छी तथा मंदी में से मंदी के मुताबिक दावा की दफा 3 के अनुसार घरू विभाजन कर रखा है।वादी दावा की दफा 3 के मुताबिक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है।लेकिन उक्त आराजीसाझा खाता मे दर्ज होने के का[illegible] खातेदारी अधिकारो पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिये वादी ने [illegible] कई दफा निवेदन किया कि वे वादी का खाता [illegible] की दफा 3 के मु[illegible] अलग कायम करवा इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड मे [illegible] अलग कायम करवा लेवे लेकिन पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन राज अलग कायम करवा लेवे लेकिन पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन अन्त मे पिछले सप्ताह वे वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इंकारी हो गये। यही विनाय दावा है।वादी का खाता दावा की दफा 3 के अनुसार अलग कायम किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.09.07 12:00:59 IS
Reason: SelfAttested

सहायक कलैक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

जाकर रकमराज अलग अलग कायम की जावे तथा इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

उक्त वाद पेश होने पर तथा गिरदावर की रिपोर्ट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया ।प्रति स.1 की ओर से सहमति का जवाब दावा पेश किया गया। जो शामिल मिसल है ।प्रति स. 2 का जवाब स्टेट पेश हुआ । जो शामिल मिसल है। साक्ष्य वादी में वादी जसविन्द्र पाल का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी.पेश किया गया। जो शामिल मिसल है।

बहस अभिभाषकगण सुनी गई। वादी अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि चक 20 ए.एम.पी. खाता स. 122/86 खाता जसविन्द्र पाल वगैरा ज.स. 2070– 2073 की आराजी सांझा खाता में दर्ज है। वादी का खाता दावा की दफा 3 के अनुसार अलग कायम किया जावे। अधिवक्ता प्रति स. 1 ने वादी के वाद का कोई विरोध नही किया। वादी के वाद का कोई विरोध नही है।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल फोटोप्रति चक 20 ए.एम.पी. खाता स. 122/86 खाता जसविन्द्र पाल वगैरा ज.स. 2070– 2073 पेश है। जो कि प्रदर्श 1 है।वादी के वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से सहमती के आधार पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

उपरोक्त विवेचंन के आधार पर वाद वादीगण डिकी किया जाता है कि चक 20 ए.एम.पी. खाता स. 122/86 खाता जसविन्द्र पाल वगैरा ज.स. 2070– 2073 में दर्ज आराजी में वादी का खाता दावा की दफा 3 के अनुसार अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग अलग कायम की जावे तथा इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। दावा की दफा 3 निम्न प्रकार से है:–

<u>वादी जसविन्द्र पाल पुत्र सर्वजीत का कब्जा:–</u>

चक 20 ए.एम.पी. खाता स. 122/86

119/156 12 3/.253 8/.063 = 0.316 है0

निज......x...... मुब्लिक......x...... बाबत......x......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसंदी सालाना आज क़ी तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ......x...... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 06.08.2024 को जारी की गई।

नोट:– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो [illegible] काश्तकार [illegible] डिकीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:00:59 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

डिक्री एवं मुकदमे [illegible]

(ओ.20 रूल 6, 7 [illegible] दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

जसविन्द्र पाल पुत्र [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

—वादी

बनाम

1. नायब सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति [illegible] निवासी [illegible] तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2. तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया

—प्रतिवादीगण

उपस्थित

श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू — अधिवक्ता वादी

श्री करणजीत सिंह सिद्धू — अधिवक्ता प्रति स. 1

मु. स. 364 / 2024 दावा अर्न्तगत धारा 53 आर.टी.ए.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी वादी व प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि चक 20 ए.एम.पी. खाता स. 122 / 86 खाता जसविन्द्र पाल वगैरा ज.स. 2070— 2073 में दर्ज आराजी में वादी का खाता दावा की दफा 3 के अनुसार अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग अलग कायम की जावे तथा इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। दावा की दफा 3 निम्न प्रकार से है—

वादी जसविन्द्र पाल पुत्र सर्वजीत का कब्जाः—

चक 20 ए.एम.पी. खाता स. 122 / 86

119 / 156 12 3 / .253 8 / .063 = 0.316 है0

निज.....X..... मुब्लिक.....X..... बाबत.....X..... खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख [illegible] तक .....X..... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज [illegible] को जारी की गई।

नोटः— यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो [illegible] डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जा[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:00:59 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया